सत्यमेव जयते

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चूरू (चूरू)
(पीठासीन अधिकारी : श्री सुनील कुमार—। आर.ए.एस.)

प्रार्थना पत्र सं.:— 2025 / 21 दर्ज तिथिः— 06.04.2022

1. श्रीमती अनिता कंवर पत्नी गोविन्दसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम चलकोई बणीरोतन तहसील व जिला चूरू

................प्रार्थी

बनाम

1. श्रीमती पतास कंवर धर्मपत्नी स्वर्गीय कुशलसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम चलकोइ बणीरोतान तहसील व जिला चूरूं
2. कुन्दनसिंह पुत्र स्वर्गीय कुशलसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम चलकोइ बणीरोतान तहसील व जिला चूरू
3. सुरेन्द्र सिंह पुत्र स्वर्गीय कुशलसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम चलकोई बणीरोतान तहसील व जिला चूरू
4. भवानीसिंह पुत्र श्री कुन्दनसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम चलाकोई बणीरोतान तहसील व जिला चूरू
5. मंजू देवी पतनी देकरण जाति जांगिड़ निवासिनी नृसिंहपुरा तहसील व जिला चूरू
6. मलमसिंह पुत्र कुशलसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम चलकोई बणीरोतान तहसील व जिला चूरू
7. रेवन्तदास पुत्र गुगनदासर जाति स्वामी निवासी ग्राम चलकोई बणीरोतपन तहसील व जिला चूरू
8. रमावतार पुत्र नोपसिंह जाति रापजूत निसासी ग्राम चलकोई बणीरोतान तहसील व जिला चूय
9. विक्रमसिंह पुत्र कुशलसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम चलकोई बणीरोतान तहसील व जिला चूरू
10. सुप्यार कंवर पुत्र कुशलसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम चलकोई बणीरोतान तहसील व ज़िला चूरू
11. हवा कंवर पत्नी ओमपालसिंह राजपूत निवासिनी ग्राम चलकोई बणीरोतान तहसील व जिला चूरू
12. किशन दास पुत्र भींवदास जाति स्वामि निवासी ग्राम चलकोई बणीरोतान तहसील व जिला चूरू
13. नरपालसिंह पुत्र श्रवणसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम चलकेई बणीरोतान, तहसील व जिला चूरू
14. राजस्थान सकरा जरिये तहसीलदार चूरू
15. उपपंजीयक चूरू
16. भारतीय स्टेट बैंक शाखा इन्द्रमणी निवास, स्टेशन रोड़ चूरू जरिये शाख प्रबंधक
17. बैंक ऑफ इंडिया शाखा इन्द्रमणी निवास, स्टेशन रोड़ चूरू जरिये शाखा प्रबंधक
18. बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा सिरसला तहसील व जिला चूरू

.... अप्रार्थीगण

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:23:14 IST
Reason: SelfAttested

उपस्थित अधिवक्ता
[illegible] विजयसिंह शेखावत
अप्रार्थीगणः— सुरेन्द्र राहड, [illegible] कुडी

प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना–पत्र 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का पेश कर निवेदन किया है कि

1. यह कि प्रार्थीया की ओर से उपरोक्त शीर्षक वाद माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर दिया है जिसमें प्रार्थीया को सफलता मिलने की पूर्ण उम्मीद है।

2. यह कि प्रार्थीया की वर्तमान खाता संख्या 148 खसरा संख्या 751/509 तादादी 212.2923 हैक्टेयर कृषि भूमि बारानी रोही मौजा चलकोई बणीरोतान, पटवार हल्का चलकोई बणीरोतान, तहसील चूरू में अवस्थित है इस कृषि ाूमि में प्रार्थीया का 797/9720 हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज चला आ रहा है जो कि प्रार्थीया द्वारा जरिये विक्रय पत्र खरीद किया गया था बाद खरीद प्रार्थीया का नाम बतोर खातेदार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद किया गया है।

3. यह कि अप्रार्थीगण कुनणसिंह, मालमसिंह व अन्य अप्रार्थीगण द्वारा उपर वर्णित संयुक्त खातेदारी की अविभाजित कृषि भूमि को आवासीय एवं कृषि उपयोग हेतु छोटे–छोटे टुकड़ों में काटकर बिना विभाजन करवाये ही विक्रय कर कब्जा दीगर व्यक्तियों को सौंप रहे है जिससे प्रार्थीया व अप्रार्थीगण के मध्य संबंध तनावपूर्ण चल रहे है, जिनके चलते भविष्य में कोई भी गंभीर वारदात घटित हो नाजे पूर्ण संभावना बनती जा रही है। ऐसी स्थिति में प्रार्थीया द्वारा अप्रार्थीगण कुनणसिंह मालमसिंह आदि को अपना हिस्सा अलग से मिटस एण्ड बाउण्ड्स पर विभाजित करवाकर सीमांकन करवा देने हेतु कई बार कहा और इसके लिए तहसील कार्यालय, चूरू मे चलकर दस्तावेजी कार्यवाही पूर्ण करवा देने हेतु भी कहा मग अप्राथ्रीगण कुनणसिंह व मालमसिंह सहित अज्य खातेदारान भी प्रार्थीया के अनुरोध को अनसुना कर टालते चले आ रहे है।

4. यह कि अप्रार्थी कुनणसिंह द्वारा दिनांक 22.02.2022 को अप्रार्थीया पतास कंवर के साथ धोखाधड़ी कर उसके हिस्से की कृषि भूमि में से 1.3658 हैक्टेयर भूमि का उपहार–पत्र अनाधिकृत तोर पर अपने पुत्रों अप्रार्थीगण संख्या 3, 4 सुरेन्द्रसिंह व भवानीसिंह के नाम से करवा लिया, जिसको लेकूर सहखातेदारान के मध्य काफी तनाव उत्पन्न हो गया है और झगड़ा होने की एक दूसरे के हिस्से में अच्छी भूमि देखकर कब्जा का अनाधिकृत प्रयास अनवरत चला आ रहा है, जिसे देखकर प्रार्थीया ने दिनांक 24.03.2022को अप्रार्थीगण कोअपना हिस्सा अलग से मिट्स एण्ड बाउण्ड्स पर विभाजित कर कायम करवा देने एवं उसी के अनुसार राजस्व अतिभलेख में अंकन करवाकर अलग से सीमांकित करवाने हेतु कहा मगर अप्राथ्रीगण ने तहसील कार्यालय में उपस्थित होकर उक्त कार्यवाही करवाये जाने से साफ इंकार कर दिया, जिससे प्रार्थीया एवं अप्राथ्र्रीगण के मध्य वाद कारण उत्पन्न हो या है और प्रार्थीया के पास माननीय न्यायालय के समक्ष वाद कारण उत्पन्न हो गया है और प्रार्थीया के पास माननीय न्यायालय के समक्ष दावा प्रस्तुत कर अपना हिस्सा मीटस एण्ड बाउण्डस पर विभाजिक करवाकर उसी के अनुसार राजस्व अभिलेचा में अंकन करवाने एवं नक्शा तरमीम करवाने अलावा अन्य कोई विकल्प शेष नहीं बचने के कारण दावा हस्तगत प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

5. यह कि अप्रार्थी कुनणसिंह द्वारा दिनांक 22.02.2022 को अप्रार्थीया पतास कंवर के साथ धोखाधड़ी कर उसके हिस्से की कृषि भूमि में से 1.3658 हैक्अेयर भूमि का उपहार–पत्र अनाधिकृत तोर पर अपने पुत्रों अप्रार्थीगण संख्या 03 व 04 सुरेन्द्रसिंह व भवानीसिंह के नाम से करवा लिया, जिसको लेकर सह–खातेदारान के [illegible] तनवा उत्पनन्‍ हो गया है और झगड़ा होने की एक दूसरे के हिस्से में [illegible] करने का अनाधिकृत प्रयासर अनवरत चला आ रहा है, इसलिए [illegible] के कब्जा व उपयोग उपभोग में चली आ रही अविभाजित कृषि भूमि पर अन्य अप्रार्थीगण जबरन कब्जा कायम कर

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:23:14 IST
Reason: SelfAttested

सकते है जिनको ऐसा करने से रूकवाया जाना अति आवश्यक है, जिसके लिए माननीय न्यायालय के समक्ष अप्रार्थीगण के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने हेंतु यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है।

6. यह कि अप्रगार्थीगण संख्या 14 से 18 को प्रार्थना पत्र में पक्षकार संयोजित किया गया है क्योंकि प्रार्थना पत्र में किसी प्रकार का कोई कानूनी नुक्श न रह जावे इस कारण अप्रार्थीगण संयोजित किया गया है। जबकि अप्रार्थीगण संख्या 14 से 18 के विरूद्ध किसी प्रकार का कोई प्रभावी अनुतोष नहीं चाहा गया है इसलिए धारा 80 सीपीसी का नोटिस दिये बिना ही प्राथना -पत्र सुनवाई योग्य होने से बिना नोटिस दिये ही प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है।

7. यह कि उपर वर्णित पैरा संख्या 02 में वर्णित सह-खातेदारी की वर्तमान खाता संख्या-148 संख्या 751/509 तादादी 12.2923 हक्टैयर कृषि भूमि बारानी रोही मौजा चलकोई बणीरोतान, पअवार हल्का चलकोई बणीरोतान, तहसील चूरू की में से प्रार्थीया का 797/7920 हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज चला आ रहा है जो कि प्रार्थीया द्वारा जरिये विक्रय पत्र खरीद किया गया था और प्रार्थीया का नाम बतौर खातेदार राजस्व अभिलेख में अंकित है तथा खरीद किया गया था और प्रार्थीया का नाम बतौर खातेदार राजस्व अीलेख में अंकित है तथा खरीद किया गया हिस्सा प्रार्थी के कब्जा काश्त एवं उपयोग उपभोगम में चला आ रहा हे, उक्त परिस्थितियें से प्रथम दृष्ट्या मामला व सुविधा संतुलन का सिद्धान्त प्राथ्रीया के पक्ष में अनना प्रमाणित है।

8. यह कि उपर वर्णित खसरा संख्या 751/509 रोही ग्राम चलकोई बणीरोतान, तहसील चूरू में प्रार्थीया का 797/9720 हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज चला आ रहा है, जिस पर प्रार्थीया काबिज होकर काश्त कर उपयोग उपभोग करती चली आ रही है। अप्रार्थीय कुनणसिंह द्वारा दिनांक 22.02.2022 को अप्रार्थीया पतास कंवर के साथ धोखाधड़ी कर उसके हिस्से की कृषि भूमि पर अन्य अप्रार्थीगण जबरन कब्जा कायम कर सकते है अगर अप्रार्थीगण अपने उक्त मंसुबे में कामयाब हो जाते है तो प्रार्थीया को अपूर्तीय क्षति होगी जिसका मूल्यांकन मुद्रा में किया जाना संभवन नहीं है।

9. यह कि विवादित सम्पति माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार में स्थित है ऐसी सुरत में हस्तगत प्राथना पत्र हर प्रकार से माननीय न्यायालय के क्षेत्राध्किार व श्रवणाधिकार का का होने से माननीय न्यायलय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

अतः प्रार्थीया की अ ोर से प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये चिरस्थाई निषेधाज्ञा ताफैसला मूल दावा पाबंद फरमाया जावे कि- अप्रार्थीगण प्रार्थना मप की मद संख्या -02 में वग्रित कृषि भूमि पर चले आ रहे कब्जा, काश्त एवं उपयोग उपभोग में सिकी प्रकार की दखलंदाजी न करे तथा मौका व रिकॉर्ड की यथा स्थिति बनाये रखे तथा अप्राथ्रीगण ऐसा कोई कार्य या अपकार्य नहीं करे जिससे प्राथ्रीनी के वैधानिक अधिकारों पर असर पड़ता हो।

प्रार्थना-पत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण जरिये सम्मन तलब किये गये। जिस पर विधिवत तामील के बावजूद प्रतिवादी संख्या 01, 05 से 07 , 09 से 11 ,13 , 15 से 18 की ओर से कोई उपस्थित नहीं आये इसलिए इनके खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादी संख्या 02 से 04 की ओर से अधिवक्ता सुरेन्द्र राहड़ उपस्थित हुए परन्तु इनकी ओर से जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया इसलिए इनका जवाब बंद किया गया। अप्रार्थी संख्या 12 की ओर से अधिवक्ता सुरेन्द्र डुडी ने उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत किया जिसमें कहा है।

1. यह कि प्रार्थना-पत्र की मद सं. 01 में वर्णित कथन कि प्रार्थीया की ओर उपरोक्त शीर्षक वाद माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया है- स्वीकार है इस मद के शेष

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:23:14 IST
Reason: SelfAttested

कथन भलत व झुठ लिखे हुए होने कारण से स्वीकार नहीं है अस्वीकार किए जाते है– दावा वादिनी गलत व झुठे आधारों पर पेश किया गया होने के कारण से दावा मे सफलता मिलने की कतई संभावना नही है।

2. यह कि प्रार्थना पत्र की मद सं. 02 स्वीकार है।
3. यह कि प्रार्थना पत्र की मद संख्या 03 गतल एवं झूठ लिखी हुई होने के कारण से स्वीकार नहीं है, अस्वीकार की जाती है। अप्रार्थीगण कुनणसिंह, म3ालमसिंह व अप्रार्थगण द्वारा वादगत कृषि भूमि में से 797 / 9720 हिस्सा भूमि खरीद की गई थी व कब्जा प्राप्त किया गया था अप्रार्ीगण कुनणसिंह मालमसिंह व अन्य अप्रार्थीगण वादगत कृषि भूमि में अपने अपने कब्जा काश्त व हिस्सा अनुसार कृषि भूमि में अपने अपने कब्जा काश्त व हिस्सा अनुसार कृषि उपभो हेतु ड़ि व छोटे टुकड़ों में क्रतागण की आवश्यकतानुसा बैय कर रहे है व कब्जा सैाप रहे है जिससे प्रार्थीनी व अप्रार्थीगण के मध्य किसी भी प्रकार से मेड़बन्दी व कब्जा को लेकर कोई विवाद न तो कभी रहा व अन है प्रार्थनी वादगत कृषि भूमि का कब्जा कास्त के अनुसार व पूर्व किए गए व चले आ रहे बाहमी बंटवारा के मुताबिक खाता विभाजन करवा सकती है प्राथ्रीनी अब कब्जा काश्त के विपरीत वर्षो पूर्व हुए बाहमी बंटवारा के विरूद्ध बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड्स में करवाने क आधार पर इस मद में सारे कथन झुठे व मनगढण्न्त किए है व झुठाा आधार पर इस मद में सारे कथन झुठे व मनगढन्त किए है व झुठा आधार बनाया है।
4. यह कि प्रार्थना पत्र मद सं. 04 गलत एवं झुठ लिखी हुई होने के कारण से स्वीकार नहीं है– अस्वीकरा की जाती है। अप्रार्थीगण पतास कंवर ने अपनी स्वेच्छा से अपने कब्जा काश्त वा हिस्सा की कृषि भूमि में से 1.3658 हैक्टेयर भूमि के उपहार पत्र अपने पौत्रगण अप्रार्थीगण सं. 03 व 04 के हक में करवाये थे– जिसको लेकर वादगत कृषि भूमि के किसी भी सह खातेदारान के मध्य कोई विवाद नहीं हुआ था व न कोई विवाद है क्योकि पतास कंवर ने अपने हक हिस्सा व खातेदारी कब्जा काश्त की भूमि में से पउहार पत्र करवा कर अपने कब्जा की भूमि पर ही अप्रार्थीगण संख्या 03 व 04 को काबिज करवाया थ प्राथ्रीनी को छोड़ कर किसी भी सह खातेदार ने कोई अनाधिकृत प्रयास नहीं किया है व न अनवरत जारी हैं प्रार्थीनी ने मनगढन्त तिथि का उल्लेख कर इन्कारी की झुठी कहानी बना कर अपनें कब्जा कास्त के विपरीत वर्षों पूर्व हुए बाहमी बंटवारा के विरूद्ध गलत रू से अप्रार्थीगण के कब्जा कास्त व हिस्सा की भूमि को हड़पने की मन्सा से यह झुठा प्रार्थना–पत्र पेश किया है। – वादगत कृषि भूमि के मूल खातेदारन ने वर्षों पूर्व बाहमी बंटवारा कर लिया थ वर्षो बाद समय के साि निरन्तर भूमि की मौका की स्थिति में बदलाव आता रहता है भूमि के नजदीक आबादी बढने से भूमि में से सड़के निकल जाने से ही ऐसा होता है भूमि की कीमत बढ जाती है भूमि की किस्म बारानी दोयम ही रहती है इसी प्रकार के बदलाव के कारण कब्जा के विपरीत बाई मिट्स एवड बाउण्ड्स में विभाजन करवाने की प्रार्थीनी ने इस प्रार्थना पत्र के मध्यम से यह गलत प्रयास किया है।
5. यह कि प्रार्थना पत्र की मद सं. 05 गलत झुठ लिखी हुई होने के कारण से स्वीकार नहीं है– अस्वीकार की जाती है। पतास कंवर अप्रार्थीनी ने अपनी स्वेच्छा से अपने पौत्रगण अप्रार्थीगण सं. 03 , 04 के [illegible] है जिनकों आज तक किसी सहखातेदारन ने व स्वयं पतास कंवर ने धोर [illegible] रवाये जाने बाबत चुनौती नही दी है। प्रार्थीनी ने झुठी कहानी [illegible] त की भूमि को हड़पने की मन्सा से अस्थाई निषेधाज्ञा [illegible] इस्तदुआ कर यह झुठा प्रार्थना पत्र पेश किया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:23:14 IST
Reason: SelfAttested

6. यह कि प्रार्थना पत्र की मद सं. 06 कानूनी है जबाब की कोई आवश्यकता नहीं है फिर भी विकल्प में अप्रार्थीगण सं. 08 व 12 की ओर से निवेदन है कि अप्रार्थीगण संख्या 14 व 15 राजस्थान सरकार व सरकार के प्रतिनिधि है जिनको कानूनन धारा 80 सीपीसी का नोटिस दिया जाना अनवाय्र है इस कानूनी नुक्स के कारण से प्रार्थना पत्र प्रार्थीनी खारिज किये जाने योग्य है।

7. यह कि प्रार्थना पत्र की मद सं. 07 में वर्णित कृषि ख. नं. खाता नब्र तादादी रोही मौजा पटवार हल्का तहसील प्रार्थीया का हिस्सा उसके द्वारा खरीद करना, राजस्व अभिलेख में अंकित होना ये कथन स्वीकार है। शेष कथन जिस प्रकार से लिखे हए है उस प्रकार से स्वीकार नहीं है।– अस्वीकार किए जाते है– वादगत कृषि भूमि में अप्रार्थीगण का भी हिस्सा है कब्जा कास्त है राजस्व अभिलेख में अंकित है खरीद सुदा है ऐसी परिस्थिति में प्रथम दृष्ट्या मामला सुविधा संतुलन का सिद्धान्त केवल मात्र प्रार्थीया अकेली के पक्ष में प्रमाणित नहीं है प्रार्थीय की व अप्रार्थीगण की वादगत कृषि भूमि में समान स्थिति है।

8. यह कि प्रार्थना –पत्र की मद सं. 08 जिस प्रकार से लिखी हुई हे उस प्रकार से स्वीकार नहीं है– अस्वीकार की जाती है प्रार्थीया ने जब वादगत कृषि भूमि के खातेदार से भूमि क्रय की उस वक्त मुताबिक बाहमी बंटवारा के जो वूं में किया हुआ था खरी की थी व विक्रेता के कब्जा सुदा भूमि भाग पर ही प्रार्थीया को कब्जा सौपा गया था अब प्राथीया के मन में बेईमानी आ गई है– जो समय गुजरने पर आबादी के नजदीक की भूमि को हड़पने की मन्सा से पास कंवर के द्वारा अपनी स्वेच्छा से कराये गये उपहार पत्र को विवादित बता कर झुठी कहानी बना कर झुठा आधार बना कर अच्छी किस्म की बिना कब्जा कास्त के बाहमी बंटवार की अनदेखी कर वादगत कृषि भूमि को अविभाजित बता कर यह झुठा प्रार्थना–पत्र पेश किया है प्रार्थीया अपने हक हिस्सा के वादगत कृषि भूमि में अपने हिस्सा के भू भाग पर काबिज है इस प्रकार से प्रार्थीया को किसी भी प्रकार से अपूर्तीय क्षति होने की संभावना मात्र भी नही है।

9. यह कि प्रार्थना–पत्र की मद संख्या 09 कानूनी है जबाब की कोई आवश्यकता नहीं हैं ।

10. यह कि अप्रार्थीगण सं.0 08 व 12 ने अप्रार्थी सं. 06 मालमसिंह से उके भाई बंटवारे में आये हिस्सा में से बाहमी बंटावार में आये हिस्सा में से जरिये रजिस्टर्ड बैनामा के भूमि खरीद की है व उसके हक स्सिा व पान्ति में आई भूमि से कब्जा प्राप्त किया है व बतौर ख्रातेदार काबिज काश्तकार चले आ रहे है प्रार्थीनी ने गलत झुठे तथ्यों व कथनों के आधार पर झूठी कहानी बनाकर झुठे आधार पर अप्रार्थीगण की कब्जा काश्त की भूमि को हड़पने की मन्सार से यह झुठा प्रार्थना पत्र पेश किया जै जो सभी प्रकार से खारिज किये जाने योग्य ळैं
टतः अप्रार्थीगण संख्या 08 व 12 की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्ति का पेश कर अर्ज है कि प्रार्थना पत्र प्रार्थीया बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्ति खारिज फरमाया जावें । बहस सुनी बहस सुनी जाकर पत्रावली का अवलोकन किया गया।

11. यह निर्विवाद है कि खाता संख्या 148, खसरा संख्या 751/509, रकबा 12.2923 हैक्टेयर, रोही मौजा चलकोई बणीरोतान, तहसील चूरू संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि है। यह भी विवादित नहीं है कि प्रार्थीया का 797/9720 हिस्सा उक्त भूमि में राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है, जो उसने पंजीकृत विक्रय–पत्र के माध्यम से खरीदा है। साथ ही यह तथ्य भी स्वीकार है कि उक्त खाता में प्रार्थीया के अतिरिक्त अन्य खातेदारों के भी वैधानिक हिस्से दर्ज हैं तथा वे भी खातेदार एवं काबिज ... है कि सह–खातेदार अप्रार्थीगण अविभाजित भूमि ... उपहार कर रहे हैं, बिना विधिवत विभाजन के कब्जा परिवर्तन हो रहा है, जिससे प्रार्थीया के हिस्से में हस्तक्षेप एवं

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:23:14 IST
Reason: SelfAttested

अपूरणीय क्षति की आशंका है। अप्रार्थी संख्या 08 व 12 का स्पष्ट कथन है कि वादगत भूमि में वर्षो पूर्व बाहमी बंटवारा (mutual partition by possession) हो चुका है, सभी सह—खातेदार अपने—अपने हिस्से की भूमि पर उसी अनुसार कब्जा—काश्त में हैं, प्रार्थीया ने भी भूमि उसी बाहमी बंटवारे की स्थिति में खरीदी थी, पतास कंवर द्वारा किया गया उपहार—पत्र उनके स्वयं के हिस्से एवं कब्जे की भूमि से संबंधित है, जिसे आज तक किसी सक्षम न्यायालय में चुनौती नहीं दी गई है।

धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अंतर्गत अस्थाई निषेधाज्ञा प्रदान करना असाधारण संरक्षण है, जिसे केवल तभी दिया जा सकता है जब निम्न तीनों तत्व एक साथ सिद्ध हो कि

प्रथम दृष्टया मजबूत मामला सुविधा संतुलन प्रार्थी के पक्ष में अपूरणीय क्षति की वास्तविक संभावना

यह तथ्य निर्विवाद है कि वादगत भूमि संयुक्त खातेदारी की है। संयुक्त खातेदारी में प्रत्येक सह—खातेदार को अपने हिस्से के अनुसार भूमि उपयोग, तथा अपने कब्जे वाली भूमि के संबंध में व्यवहार करने का अधिकार होता है जब तक कि वह अन्य सह—खातेदारों के कब्जे में हस्तक्षेप न करे। प्रार्थीया द्वारा यह प्रथम दृष्टया स्थापित नहीं किया जा सका है कि अप्रार्थीगण उसके वास्तविक कब्जे वाले हिस्से में हस्तक्षेप कर रहे हैं, या उसे उसकी काश्त से बेदखल करने का कोई ठोस प्रयास किया गया है। मात्र यह तथ्य कि भूमि अविभाजित है, अपने—आप में निषेधाज्ञा का आधार नहीं बनता।

यदि सम्पूर्ण खाता भूमि के संबंध में अप्रार्थीगण को किसी भी प्रकार का व्यवहार करने से रोका जाता है, तो अन्य सह—खातेदारों के वैधानिक अधिकार बाधित होंगे, वर्षो से चले आ रहे कब्जा—काश्त की स्थिति प्रभावित होगी। इसके विपरीत, प्रार्थीया अपने हिस्से पर वर्तमान में काबिज है और उसके अधिकारों का निर्धारण मूल वाद में किया जा सकता है। अतः सुविधा संतुलन किसी एक पक्ष के पक्ष में नहीं, बल्कि सभी सह—खातेदारों के बीच समान रूप से विद्यमान है। प्रार्थीया द्वारा यह भी सिद्ध नहीं किया जा सका है कि उसे ऐसी क्षति होने जा रही है जिसकी पूर्ति भविष्य में संभव नहीं होगी, अथवा जिसे मूल वाद के निर्णय से सुधारा नहीं जा सके। संयुक्त खातेदारी की भूमि में अधिकारों का अंतिम निर्धारण विभाजन या अंतिम निर्णय से ही किया जाना विधिसम्मत है, न कि अस्थाई निषेधाज्ञा से।

इस न्यायालय का स्पष्ट मत है कि प्रार्थीया प्रथम दृष्टया ऐसा मामला स्थापित करने में असफल रही है, धारा 212 आर.के. एक्ट का उपयोग सह—खातेदारों के वैधानिक अधिकारों को प्रतिबंधित करने हेतु नहीं किया जा सकता, अस्थाई निषेधाज्ञा का उद्देश्य स्थिति को स्थिर रखना है, न कि किसी एक पक्ष को विशेष अधिकार प्रदान करना।

आदेश है कि

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना—पत्र अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

यह आदेश मेरे द्वारा आज दिनांक 02.02.2026 को लिखवाया जाकर सरे—इजलास सुनाया जाकर हस्ताक्षर व मोहर मय जारी किया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:23:14 IST
Reason: SelfAttested

(सुनील कुमार— I) RAS
उपखण्ड अधिकारी
चूरू (चूरू)